

पत्र सं०-7/स्थापना व्यय-आवंटन-11/2023-67(7)ब/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/स्वा०, राँची, दिनांक: 01-01-2026.....

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 103-यूनानी- 01-यूनानी- औषधालय के अन्तर्गत कुल ₹ 11,26,250/- ग्यारह लाख छब्बीस हजार दो सौ पचास) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ	103-यूनानी- 01-यूनानी- औषधालय	₹ 11,26,250/- ग्यारह लाख छब्बीस हजार दो सौ पचास)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 एवं पत्रांक-1681 दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिले के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

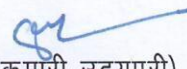
5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।



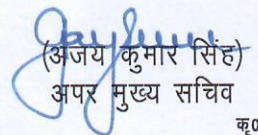
(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव



(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव



(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

कृ० पृ० उ०

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. आयुष निदेशालय के द्वारा यूनानी औषधालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के **COBT - Form 3A** में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः **COBT - Form 3A** के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो **Form 3A** में सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

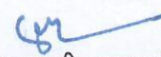
- सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की यूनानी औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।
- प्रत्येक माह का वेतन विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **Ghost Employee**/अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

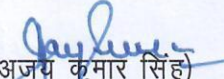
14. यूनानी औषधालयों के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में यूनानी औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

67(7)ब
01-01-2026


(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

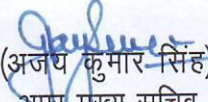

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

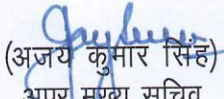
15. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरुद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

16. सभी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ यूनानी औषधालयों का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

विश्वासभाजन

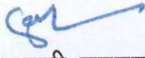

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

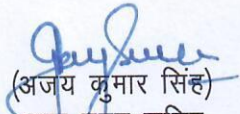
ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-11/2023-67(7)व / स्वा0, राँची, दिनांक-01-01-2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-11/2023-67(7)व / स्वा0, राँची, दिनांक-01-01-2026
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	3670000	1110000	4780000
2	कार्यालय व्यय	100000	5000	105000
3	वर्दी	5000	11250	16250
कुल		3775000	1126250	4901250

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100410301000101	1110000
2	कार्यालय व्यय	20S22100410301000315	5000
3	वर्दी	20S22100410301000334	11250
कुल आवंटित राशि			1126250

कुल ₹ 11,26,250 /- ग्यारह लाख छब्बीस हजार दो सौ पचास)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी	कुल
1	Dhanbad	248000	0	0	248000
2	Jamshedpur	289000	0	5000	294000
3	Khunti	60000	0	0	60000
4	Latehar	200000	0	5000	205000
5	Pakur	142000	0	1250	143250
6	Sahebganj	171000	0	0	171000
7	Simdega	0	5000	0	5000
Grand Total		1110000	5000	11250	1126250

67(7) ब
01-01-2026

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष.2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां & 103 - यूनानी & 01 - यूनानी - औषधालय

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dhanbad	DHNMED103	Dr. Kumkum	I/C Dist. Ayush Medical Off. Dhn	₹2,48,000.00 (81474)	₹0.00	₹0.00	₹2,48,000.00
2	Jamshedpur	JSRMED202	Dr. Mukul Kumar Dikshit	Dist. Ayush Med. Off. Jsr.	₹2,89,000.00 (81475)	₹0.00	₹5,000.00 (81481)	₹2,94,000.00
3	Khunti	KHNMEDL35	Chandra Shekhar Prasad	Inc. D.A.M.O. Khunti	₹60,000.00 (81476)	₹0.00	₹0.00	₹60,000.00
4	Latehar	LTRMED091	Dr. Om Prakash	D.A.M.O. Latehar	₹2,00,000.00 (81477)	₹0.00	₹5,000.00 (81482)	₹2,05,000.00
5	Pakur	PKRMED035	Vipin Chandra Gupta	Dist. Ayush Medical Officer	₹1,42,000.00 (81478)	₹0.00	₹1,250.00 (81483)	₹1,43,250.00
6	Sahebganj	SBJMED004	Alok Chandra Shrivastava	Dist. Ayush Med. Off. Sbg	₹1,71,000.00 (81479)	₹0.00	₹0.00	₹1,71,000.00
7	Simdega	SDGMED010	Dr. Subhadra Kumari	D.A.M.O Simdega	₹0.00	₹5,000.00 (81480)	₹0.00	₹5,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹11,26,250.00 (म्यारह लाख छव्वीस हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

67(7) व
01-01-2026

Jay Kumar Singh
(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY